

## प्रेस नोट थाना कैण्ट दिनांक 19-05-2021

### **अभियुक्तगण द्वारा ब्लैक फंगस बीमारी के ईलाज के लिये औषधि AMPHO MBX इंजेक्शन की काला बाजारी करते हुए गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में-**

आज दिनांक 18.05.2021 को श्री जय सिंह औषधि निरीक्षक गोरखपुर द्वारा मय हमराहियान के थाना स्थानीय पर एक कित्ता फर्द औषधि AMPHO MBX इंजेक्शन सील सर्व मोहर मय नमूना मोहर व गिरफ्तारशुदा दो नफर अभियुक्तगण के बावत अभियुक्तगण द्वारा ब्लैक फंगस विमारी के ईलाज के लिये इंजेक्शन की काला बाजारी करने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 266/21 धारा 420/409/336/188/269 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम का अभियोग बनाम-1- अमित जायसवाल व 2- गजेन्द्र कुमार पाण्डेय के पंजीकृत किया गया है।

#### **नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण -**

- 1- अमित जायसवाल पुत्र ध्रुव चन्द्र जायसवाल निवासी सुमेर सागर थाना कोतवाली गोरखपुर
- 2- गजेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र प्रदीप पाण्डेय निवासी राप्तीनगर फेज 4 थाना शाहपुर गोरखपुर

#### **बरामदगी का विवरण-**

एक डिब्बें में औषधि AMPHO MBX इंजेक्शन

#### **बरामदगी का स्थान , दिनांक व समय-**

भलोटिया मार्केट थाना कैण्ट गोरखपुर , दिनांक- 18.05.2021

#### **गिरफ्तारी में शामिल टीम-**

- 1-निरीक्षक श्री जय सिंह पुत्र मोहित राम औषधि निरीक्षक गोरखपुर
- 2-मोहन तिवारी औषधि सहायक औषधि अनुसेवक कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिलाधिकारी कैम्पस गोरखपुर
- 3- का0 राकेश यादव थाना कैण्ट, गोरखपुर।